Increase in Strikes in Industries

2598. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARI:

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR:

SHRI RAVINDRA VERMA:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the incidence of strikes in the industries has been increasing constantly during the last three years;

(b) if so, full details in this regard; and

(c) the details of the steps taken by Government to check these strikes and the results thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR): (a) and (b) No, Sir. The number of strikes during the last three years has been decreasing year to year as indicated below:—

Year	No. of strikes
1980	2,501
1981	2,245
1982*	1,751

*=Based on the information received in the Labour Bureau till 18-2-83.

(c) Government are keeping a constant watch on the industrial relations situation in the country. The Industrial Relations Machinery both at the Centre and in the State continues to make efforts to reduce work-stoppages and mandays lost through preventive mediation, conciliation, adjudication and arbitration as necessary under the existing statutory provisions and voluntary arrangements.

न्यायालय शुल्क खत्म करने के लिए राज्यों को निदेश

2599. **श्री चन्द्रपाल शेखावत :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आम आदमी को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए न्यायालय शुल्क खत्म करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं ; और

(ग) राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 3 के अनुसार न्यायालय फीस (उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) राज्य का विषय है और वह राज्य सरकार की अधिकारिता में आता है । संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय फीस साधारणतया पड़ोसी राज्यों में प्रचलित दर संरचना के समान होती है।

जुलाई, 1981 में इस मंत्रालय से संबद्ध संसद् सदस्य परामर्श समिति ने अपनी उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर न्यायालय फीस को पूर्णतया समाप्त करने की सिफारिश की थी। वह सिफारिश जनवरी, 1982 में आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई। इसके पश्चात् इस पर जून, 1982 में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन का विचार था कि वित्तीय मजबूरी के कारण न्यायालय फीस के सुव्यवस्थीकरण के लिए, न कि इसकी

समाप्त करने के लिए, उपाय किया जाना चाहिए। सम्मेलन ने न्यायालय फीस के सुव्यवस्थीकरण के प्रश्न पर विचार करने और विधि मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में विचार के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पांच राज्यों, अर्थात्, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के विधि मंत्रियों की एक समिति का भी गठन किया। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री इस समय समिति के संयोजक हैं।

यह विषय समिति के विचाराधीन है।

राज्यों में बेरोजगार व्यक्ति

2600. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से बेरोजगारी समाप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों से बेरोजगार व्यक्तियों के आंकड़े एकत्र किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना विवरण एक में दी गई है।

(ग) छठी योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धनता और बेरोजगारी के विस्तार में उत्तरोत्तर कमी लाना है। योजना के अंग के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे कई कार्यक्रमों में रोजगार की बहुत बड़ी संभाव्यता है। इनमें से कुछ विवरण दो में दिए गए हैं।

विवरण–1

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण–32वां दौर (1977–78) द्वारा प्रकट 5 वर्ष और ऊपर की जनसंख्या की तुलना में बेरोगार व्यक्तियों की राज्यवार प्रतिशतताएं।

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	5 वर्ष और इससे ऊपर की जन संख्या की तुलना में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या की प्रतिशता।
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	2.42
2	असम	0.84
3.	बिहार	1.21
4.	गुजरात	0.96
5.	हरियाणा	2.76
6.	हिमाचल प्रदेश	0.94
7.	जम्मू व कश्मीर	1.17
8.	कर्नाटक	1.84
9.	केरल	8.48
10.	मध्य प्रदेश	0.52
11.	महाराष्ट्र	1.71
12.	मणिपुर	0.47
13.	मेघालय	0.30
14.	नागालैण्ड	..
15.	उड़ीसा	1.41
16.	पंजाब	1.54
17.	राजस्थान	0.89
18.	तमिलनाडु	3.04
19.	त्रिपुरा	1.87
20.	उत्तर प्रदेश	0.95